जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ......

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/MMP/09

E-Newsletter, Issued in Public Interest

सोमवार, 10 फरवरी 2020

हेतु आम जन की पहल राज.उ.न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन स. 1554/2004 में दिए गए फैसले की कठोरता से पालना

अवैध निर्माणों के विरुद्ध आम जन का मिशन मास्टर-प्लान

नगर निगम जयपुर के सिविल लाईन ज़ोन के उपायुक्त श्री आर.के. मेहता ने लिया अवैध निर्माण करवाने का ठेका|

आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक कोम्प्लेक्स की शिकायत पर कहा *“ बेचारा मकान बना रहा है क्यों शिकायत करके उसे मकान बनाने से रोक रहे हो? ”*

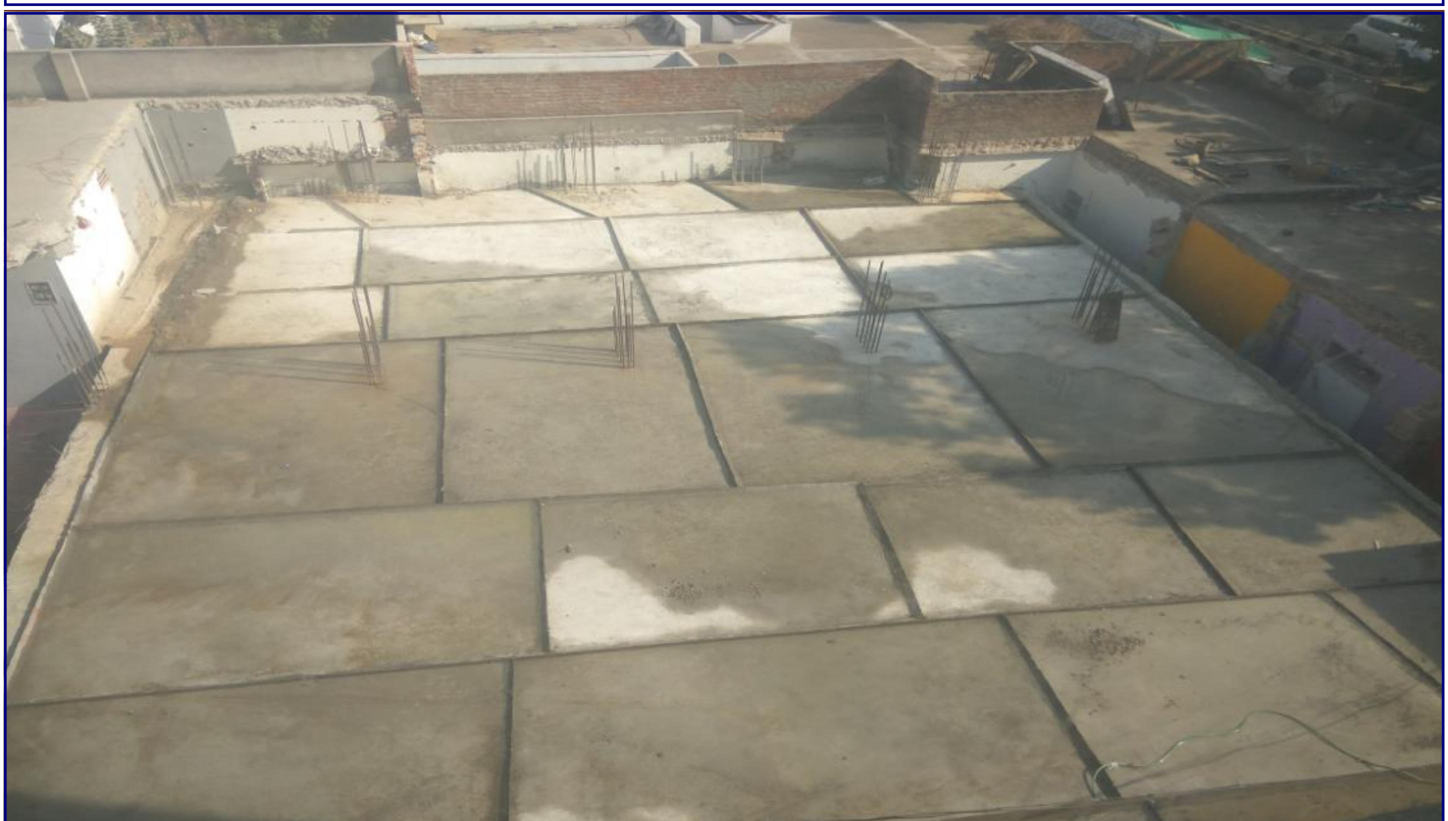

भूखंड संख्या 5,ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी,सगत सिंह मोड़,खातीपुरा स्थित आवासीय भूखंड पर बन रहा विशालकाय व्यवसायिक कोम्प्लेक्स

ज़ोन उपायुक्त के बिगड़े बोल

जब इस बारे में हमारे द्वारा ज़ोन उपायुक्त श्री राम किशोर मेहता से फोन पर बात की गयी तो उनके द्वारा बड़े रूखे तरीके से बात करते हुए कहा कि वह बेचारा मकान बना रहा है क्यों शिकायत करके उसे परेशान कर रहे हो,क्यों तुम लोगो से किसी की ख़ुशी नहीं देखी जाती|वह इतना ही नहीं रुके उनके द्वारा ऑफिस आकर बात करने का दबाव बनाया गया|

अवैध निर्माणकर्ता के पास पूरे भूखंड का आवासीय पट्टा भी नहीं है

गौरतलब है कि अवैध निर्माणकर्ता के पास इस पूरे भूखंड का आवासीय पट्टा तक नहीं है|जानकारी के अनुसार इस भूखंड का ग्राम पंचायत का पट्टा बना हुआ है लेकिन उसका माप भी इतना नही है जिसके आधार पर अवैध निर्माणकर्ता इस भूखंड पर निर्माण करने का दावा करता है |

ना तो नक़्शे पास करवाए और ना ही करवाया भू उपयोग परिवर्तन,सेटबैक भी नहीं छोड़ा,अवैध बेसमेंट भी खोदा|

जे.डी.ए./नगर निगम के अधिकारियों से सांठ गाँठ के चलते अवैध निर्माणकर्ता इतने दु:साहसी हो गए है कि वह ना तो विधिपूर्वक नक़्शे पास करवाते है और ना ही भू उपयोग परिवर्तन करवाना उचित समझते है|इस मामले में तो अवैध निर्माणकर्ता द्वारा एक कदम बढ़ाते हुए ना केवल सैटबैक छोड़ा बल्कि अवैध रूप से बेसमेंट भी खोद दिया है|

संपर्क पोर्टल पर की गयी शिकायत पर जवाब दिया कि नगर निगम द्वारा काम रुकवाया गया है|

इस मामले की शिकायत संपर्क पोर्टल पर करने पर नगर निगम द्वारा जवाब दिया गया है कि उनके द्वारा इस बिल्डिंग का काम रुकवा

Commissioner-Vidhayadhar Nagar Zone				जयपुर , शहर- जयपुर, वार्ड- वार्ड न. 18 में परिवर्तन किया गया)
, , ,	Municipal Corporation, Jaipur , Junior Engineer , (Engineering), O/o Deputy Commissioner-Civil Line Zone	Allocated	22-Jan-2020	परिवाद सम्बंधित अधिकारी को अग्रेषित कर दी गयी है
Municipal Corporation, Jaipur , Junior Engineer , (Engineering), O/o Deputy Commissioner-Civil Line Zone	, , ,	Partially Closed :Relief	27-Jan-2020	मोके पर काम रुकवाया गया

दिया गया है|अब सवाल यह है कि यदि ज़ोन उपायुक्त श्री राम किशोर मेहता के संज्ञान में आने के बाद भी यदि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा केवल काम रुकवा कर खानापूर्ति की जाती है तो सरकार द्वारा अवैध निर्माणों को सील/ध्वस्त करने के अधिकार केवल दिखाने और लिखने के लिए ही दिए है क्या?

जवाब मांगते सवाल?

1. यदि यह निर्माण सही तो रोका क्यों?
2. यदि यह अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है तो महज काम क्यों रुकवाया?अवैध बेसमेंट और बिना सेटबैक छोड़े किये गए अवैध निर्माण को ध्वस्त क्यों नहीं किया?
3. यदि जिम्मेदार अधिकारी ही उदासीनता बरतेंगे तो कार्यवाही करवाने खुद मुख्यमंत्री आयेंगे क्या?